राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– पं. 13 (1) ल.प्र./जयपुर/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 9-2-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला–जयपुर (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।
संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक 243 दिनांक 01.02.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के द्वारा जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पर लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा प्रेषित की है। उक्त अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्ररकणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण व अन्तर्गत धारा
1.	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 2 जयपुर जिला जयपुर	7 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 7 तक)
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला–जयपुर।	1 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1)
3.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपुतली जिला–जयपुर।	4 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 4)
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट विराटनगर जिला–जयपुर।	1 प्रकरण पुलिस अधिनियम (क्रम संख्या 1)
	कुल	13 प्रकरण

अतः कुल तैरह प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाते है।

भवदीय,

(देवेन्द्र दीक्षित) 9/2/17
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर देहात।
2. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

कमांकः– पं. 13 (1) ल.प्र./भरतपुर/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 9-2-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भरतपुर (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।
संदर्भः–आपका पत्र कमांक 181 दिनांक 25.01.2017 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के द्वारा जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पर लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा प्रेषित की है। उक्त अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्ररकणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

क.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण व अन्तर्गत धारा
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 3 भरतपुर.	2 प्रकरण मजदूरी अधिनियम (कम संख्या 1 व 2)
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग भरतपुर.	2 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (कम संख्या 3 व 4)
3.	ग्राम न्यायालय, रूपवास	2 प्रकरण मजदूरी अधिनियम (कम संख्या 5 व 6)
	कुल	6 प्रकरण

अतः कुल छः प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाते है।

भवदीय,
9/2/17
(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– पं. 13 (1) ल.प्र./प्रतापगढ़/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 9-2-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।
संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक 20 दिनांक 30.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के द्वारा जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पर लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा प्रेषित की है। उक्त अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्ररकणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण व अन्तर्गत धारा
1.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटी सादडी, प्रतापगढ़	**6 प्रकरण** मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 6 तक)
	कुल	**6 प्रकरण**

अतः कुल छः प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाते है।

भवदीय,

(देवेन्द्र दीक्षित) 9/2/17
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक निदेशक अभियोजन, प्रतापगढ़।
2. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः प.13(1)ल.प्र./बाडमेर/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांकः 9-2-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाडमेर (राज.)।

विषयः– लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।
सन्दर्भः– स.नि.अ. बाडमेर के पत्र क्रमांक 135 दिनांक 20.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के द्वारा जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पर लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायातय से वापस लेने की अनुशंषा प्रेषित की है। उक्त अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्रकरणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया है–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण अन्तर्गत धारा
1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडमेर	1 प्रकरण मोटर व्हीकल अधिनियम (क्रम सं. 1)
2	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडमेर	1 प्रकरण मोटर व्हीकल अधिनियम (क्रम सं. 2)
3	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवाना	4 प्रकरण मोटर व्हीकल अधिनियम (क्रम सं. 2 से 6 तक)
	कुल	6 प्रकरण वापस लिये जाने योग्य

अतः कुल 6 प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाते है।

भवदीय,

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. सहायक निदेशक अभियोजन, बाडमेर।
2. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– पं. 13 (1) ल.प्र./बून्दी/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 9-2-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।
संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक 236 दिनांक 30.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के द्वारा जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पर लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा प्रेषित की है। उक्त अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्ररकणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

क.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण व अन्तर्गत धारा
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट लाखेरी, बून्दी	1 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम 1 प्रकरण कोलाहल अधिनियम
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेडा, बून्दी	3 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम अधिनियम (क्रम संख्या 2 से 4)
3.	ग्राम न्यायालय तालेडा, बून्दी	5 प्रकरण न्यूनतम मजदुरी अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 5)
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 3 बून्दी	2 प्रकरण न्यूनतम मजदुरी अधिनियम (क्रम संख्या 1 व 2) 1 प्रकरण श्रम अधिनियम (क्रम संख्या 3) 1 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 6)
	कुल	14 प्रकरण

अतः कुल चौदह प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाते है।

भवदीय,

9/2/17

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. सहायक निदेशक अभियोजन, बून्दी।
2. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– पं. 13 (1) ल.प्र./अजमेर/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 9-2-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।
संदर्भः–स.नि.अभि. अजमेर का पत्र क्रमांक 435–36 दिनांक 27.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के द्वारा जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पर लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा प्रेषित की है। उक्त अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्ररकणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण व अन्तर्गत धारा
1.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़, अजमेर	**2 प्रकरण** मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 2 तक)
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या 2, ब्यावर, अजमेर	**3 प्रकरण** मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 3 तक)
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या 6, अजमेर	**1 प्रकरण** मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1)
	कुल	**6 प्रकरण**

अतः कुल छः प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाते है।

भवदीय,

9/2/17

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर।
2. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– पं. 13 (1) ल.प्र./बीकानेर/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 9-2-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीकानेर (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।
संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक 118 दिनांक 30.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के द्वारा जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पर लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा प्रेषित की है। उक्त अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्ररकणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

क.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण व अन्तर्गत धारा
1.	विशिष्ठ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन. डी.टी. एक्ट केसेज) बीकानेर	1 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1)
2.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 बीकानेर	21 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 21 तक)
3.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा, बीकानेर	1 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1)
4.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लूणकरनसर, बीकानेर	5 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1से 5)
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोलायत, बीकानेर	5 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 5)
6.	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, कोलायत, बीकानेर	4 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 4)
	कुल	37 प्रकरण

अतः कुल सैतीस प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाते है।

भवदीय,

9/2/17

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक निदेशक अभियोजन, बीकानेर।
2. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– पं. 13 (1) ल.प्र./धौलपुर/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 9.2.17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।
संदर्भः–स.नि.अभि. धौलपुर का पत्र क्रमांक 187–88 दिनांक 31.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के द्वारा जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पर लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा प्रेषित की है। उक्त अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्ररकणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

क.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण व अन्तर्गत धारा
1.	ए.एम.जे.एम. नं. 1 संख्या 1 धौलपुर	7 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 7 तक)
2.	ए.सी.जे.एम. नं. 2 बाडी, धौलपुर	20 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 20 तक)
	कुल	27 प्रकरण

अतः कुल सताईस प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाते है।

भवदीय

9/2/17

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक निदेशक अभियोजन, धौलपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– पं. 13 (1) ल.प्र./झुंझुनू/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 9-2-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुंझुनू (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।
संदर्भः–स.नि.अ. झुंझुनू के पत्र क्रमांक 107–116 दिनांक 19.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के द्वारा जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पर लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा प्रेषित की है। उक्त अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्रकरणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया है:–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण व अन्तर्गत धारा
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	39 प्रकरण नगरपालिका अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 39 तक) 7 प्रकरण वन अधिनियम (क्रम संख्या 40 से 46 तक)
2.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	9 प्रकरण वन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 9) 1 प्रकरण नगरपालिका अधिनियम (क्रम संख्या 10)
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	5 प्रकरण वन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 5) 6 प्रकरण नगरपालिका अधिनियम (क्रम संख्या 6 से 11 तक)
4.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतडी, झुंझुनू	2 प्रकरण संविदा श्रमिक अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 2)
5.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगड़, झुंझुनू	6 प्रकरण नगरपालिका अधिनियम (क्रम संख्या 5 से 10) 5 प्रकरण वन अधिनियम (क्रम संख्या 11 से 15)
6.	ग्राम न्यायालय, नवलगढ़	4 प्रकरण वन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 4)
7.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी, झुंझुनू	15 प्रकरण वन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 15)
8.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिंडावा, झुंझुनू	17 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 17)
9.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना झुंझुनू	64 प्रकरण वन अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 64)
10.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी, झुंझुनू	8 प्रकरण एमबी अधिनियम (क्रम संख्या 1 से 8)
	कुल	188 प्रकरण

अतः कुल एक सौ अठ्ठासी प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाते है।

भवदीयं,

7/2/17

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. सहायक निदेशक अभियोजन, झुंझुनू।
2. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी